(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

106 - लाडनूं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री मुकेश भाकर

मकान क्रमांक 193, भाकरों का बास, ग्राम-खारिया तहसील-डीडवाना

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- श्रीमती माडीबाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय, नागौर

दिनांक- 03-12-2023

(सुप्रिया) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र लाडनूं (106) (उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट), लाडनूं (सुप्रिया) रिटर्निंग अधिकारी विधानसमा निर्वायन क्षेत्र लाडनूं (106) ( उप खण्ड अधिकारी एवं उन्ज्ड मजिस्ट्रेट )

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 106 - Ladnun Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri MUKESH BHAKAR

HOUSE NUMBER 193, BHAKARON KA BASS, VILLAGE- KHARIYA TEHSIL- DIDWANA

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Smt. Madibai Mirdha Govt. Girl College, Nagaur

Dated:- 03-12-2023

(Supriya)

Returning Officer AC- Ladnun (106) (SubDivisional Officer & Sub Divisional Magistrate), Ladnun

> (सुप्रिया) रिटर्निंग अधिकारी विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं (106) ( उप खण्ड अधिकारी एवं 🛪 कड मजिस्ट्रेट )